206

मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर – दिसम्बर, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 7 दिसम्बर, 1995 (अग्रहायण 16, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ स्थित एक पेट्रोल पम्प के कर्मचारी की हत्या कर राशि लूटे जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री गोविंद मिश्र, सदस्य, सीधी जिले के चुरहट विधान सभा क्षेत्र के अनेक ग्रामों के ट्यूबवेल खराब होने से सिचाई कार्य प्रभावित होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री विक्रम सिंह उसेंडी, सदस्य, बस्तर जिले के अनेक ग्रामो में छिंद एवं सल्फी रस में आंध्र प्रदेश के व्यवसायियों द्वारा नशीले पदार्थ मिलाकर बेचे जाने की ओर राज्यमंत्री वाणिज्यिक कर का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री रमाशंकर भारद्वाज, सदस्य, ग्वालियर संभाग के अनेक ग्रामों को चम्बल नहर से सिचाई हेतु पानी न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री रामकिशोर शुक्ल, सदस्य, शहडोल जिले के ब्यौहारी नगर में घोषित स्थान पर बसें खड़ी न किये जाने से छात्रों को हो रही असुविधा की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) कुंवर विजय शाह, सदस्य, खण्डवा जिले के वन ग्राम सुन्दरदेव में वन कर्मियों द्वारा नागरिकों के झोपड़े तोड़े जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री किशोरीलाल वर्मा, डॉ. रमन सिंह, डॉ. सियाराम साहू, सदस्य, प्रदेश में समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी न होने से व्यापारियों द्वारा कृषकों का शोषण किये जाने की ओर राज्यमंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री कैलाश चावला, सदस्य, मंदसौर नगर पालिका परिषद के प्रभारी अधिकारी के साथ एक पार्षद द्वारा मारपीट किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री धरमू राय, सदस्य, सागर जिले के ग्राम जामुनदाना में अनुसूचित जाति की बालिका का अपहरण किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) सर्वश्री रमेशचन्द्र सिंह राठौर, रघुनन्दन शर्मा, सदस्य, धार जिले के ग्राम बगवानियां में एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री उदय मुदलियार, सदस्य, राजनांदगांव जिले के ग्राम धामनसरा एवं जंगलेशर के मध्य शिवनाथ नदी पर बने अधूरे बांध को पूर्ण कराये जाने;

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के :–

(क) कस्बा लहार मे विद्युत मण्डल का संभाग बनाये जाने ;
(ख) ग्राम जैतपुरा में उप–स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने ;
(ग) ग्राम बमनपुरा में पुलिस चौकी स्थापित कराये जाने ;
(घ) ग्राम सौंसरा में उप–स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने ;
(ड.) ग्राम बीसनपुरा में शासकीय ट्यूबवेल खनन कराये जाने ;
(च) ग्राम अन्तियन के पुरा में स्थापित पुलिस चौकी को स्थायी कराये जाने ; तथा
(छ) ग्राम धोरका मे पुलिस चौकी स्थापित कराये जाने,

के संबंध याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

-2-

4. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में मलेरिया एवं अन्य संक्रामक रोगों के प्रकोप तथा चिकित्सा व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री रामलखन शर्मा, बच्चन नायक, रविन्द्र चौबे, गौरीशंकर बिसेन, नेमीचन्द जैन, धनेश पटिला, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, श्री बनवारीलाल अग्रवाल तथा श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

निर्धारित समय

5. अशासकीय संकल्प

(1) श्री थावरचंद गेहलोत, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

25 मि. " इस सदन का यह मत है कि प्रदेश के सभी बच्चों के लिये प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने हेतु सरकार कानूनी प्रावधान करने की कार्यवाही करे".

(2) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

25 मि. " इस सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश शासन की जनोन्मुखी तथा कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश की आम जनता को अवगत कराने के लिये प्रदेश के ग्रामों/शहरों में प्रतिवर्ष एक बार संध्याकालीन चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया जाय"

(3) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

25 मि. " इस सदन का यह मत है कि प्रदेश में पूर्ण नशाबंदी लागू की जाये".

(4) श्री बच्चन नायक, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

25 मि. " इस सदन का यह मत है कि शासन द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों द्वारा सूदखोरी को समाप्त करने, पिछड़े वर्ग और आदिवासियों, जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनके समस्त ऋणों की माफी व ब्याज से मुक्ति हेतु कानून बनाया जाय".

(5) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

20 मि. " इस सदन का यह मत है कि प्रदेश में कार्यरत नगर सैनिकों को स्थायी कर जिला पुलिस बल के समान सुविधायें प्रदान की जाये ".

6. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

(1) दिनांक 30 नवम्बर, 1995 को मुख्यमंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्रमांक 63) एवं अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्रमांक 91) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री मोती कश्यप, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 5 दिसम्बर, 1995 को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्रमांक 1384) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :
दिनांक : 6 दिसम्बर, 1995

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.